

दिनांक

कार्यवाही विवरण

13/1/25

पतावली पेका हुई। अधिवक्ता U-7, कर्ता कप्त आर्मी
अनुपास्थित। अधिवक्ता द्वारा आर्मीगण की हस्त ले
वे-पत्र पत्रिका अवसर दिने पत्रे के बाद की प्रस्तुत
नही किता। अनु. है। अधि. विपकी उप। अधि. U-7.
कर्ता व आर्मीगण को एक-एक कर तीन-बार
आवासे दिखवाए गए। सामग्री सांख्यिकी 5PM ही प्रकाशित।
कतः आर्मीगण के अनुपास्थित रहते पर आर्मीगण का
आर्मीगण - पत्र कप्त हाथी / कतः पत्रे में खारिज
किता जाता है। पतावली में सल सुमार हीकर नम्बर
से कर ही।

निर्णय सुनाया गया।

